



पत्रांक- बि०प्र०सु०मि०सो०/विविध-०६/२०११ सो. २६३ दिनांक. २१.०३.२०१३

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी

विषय:- लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम कार्य हेतु संविदा पर नियोजित कर्मियों के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक १६ मार्च २०१३ को आयोजित नोडल पदाधिकारियों एवं आई.टी. प्रबंधकों की राज्यस्तरीय बैठक के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि:-

- (I) कुछ जिलों में RTPS कार्य हेतु संविदा पर नियोजित विभिन्न कर्मियों के मानदेय का भुगतान चार माह एवं इससे अधिक अवधि बीत जाने के बाद भी नहीं किया गया है। इस संबंध में नोडल पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि अनुपस्थिति विवरणी विलम्ब से प्राप्त होने के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
- (II) कतिपय जिलों के विभिन्न कार्यालयों में RTPS के कार्यों के लिए संविदा पर नियोजित कार्यपालक सहायक से RTPS के अतिरिक्त लिपिकीय एवं कार्यालय संबंधी बाहरी कार्य लिया जाता है। इस पर नोडल पदाधिकारियों द्वारा कार्यालयों में कर्मियों की कमी को कारण बताया गया।

उक्त बैठक में निर्णय लिया गया कि:-

- (I) सभी कर्मियों के मानदेय के भुगतान की व्यवस्था जिला स्तर से ECS (Electronic Clearing System) के माध्यम से करने हेतु पहल की जाए। प्रत्येक माह की २५ तारीख को अनुपस्थिति विवरणी प्राप्त करने की अंतिम तिथि निर्धारित किया जाए। उक्त तिथि तक विवरणी उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कर्मियों को उपस्थित मानते हुए संबंधित कर्मियों के मानदेय का भुगतान किया जाए। विवरणी ससमय नहीं भेजने की जवाबदेही संबंधित प्रतिवेदक पदाधिकारी पर निर्धारित की जाए। कर्मियों को प्रत्येक माह के ०१ तारीख को मानदेय का भुगतान किया जाना आवश्यक है।



-2-

- (II) कार्यपालक सहायक के नियोजन का प्रारंभिक उद्देश्य RTPS के कार्यों में सहयोग प्रदान करना है। RTPS के कार्यों में सहयोग प्रदान करने हेतु नियोजित कार्यपालक सहायकों को सामान्यतः इसी कार्य में लगाया जाए एवं इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपरिहार्य स्थिति में ही इन्हें लगाया जाए।

अनुरोध है कि उक्त के अनुपालन हेतु जिले के संबंधित पदाधिकारी/कर्मियों को निदेशित करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन

B. Rajendra
21/3/2013

(डा० बी० राजेन्दर)
अपर मिशन निदेशक